To पुलिस अधीक्षक
पाकुड़

अनुसूची २१—(धारा संख्या ११६)

संपत्ति-अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र सं० 239/17 ....., १९ । | आवेदन सं० 218/17 ...१९

चूँकि श्री ...श्रीपत कुमार ....ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही १ में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2005 ......१९७ से ता० 29/10/17 ...१९७ तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है।—

Ref No.- ज्ञापांक 173/सा०शा० [illegible] दि० 25/2/2017

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
१	२	३	४	५	६	७	८	९
1.	Mouza No - 128 Pakur J.B No — 584 Plot No — 1959 Area — 0-2-10	3/2/2017	विक्रय केवाला 1000000/-	मीनती कुमारी मिश्रा	श्रीपत कुमार	10	2017	291/320

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १। बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।
२। पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और तारीख ... दर्ज करें।

3. In case of any discrepancy please inform the Comp...

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :—

(हस्ताक्षर) :— S. Mandal

(पदनाम) :— Clerk

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :— [signature] Toppo

(पदनाम) :— Clerk.

कार्यालय निबंधन कार्यालय, पाकुड़

तारीख 30/10/2017

मुहर।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर। 30/10/17

टिप्पणी इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्ही संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियां और अनुक्रमणियां उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा छूटे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न छूटे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

3. In case of any discrepancy please inform the Comp...

Scanned by CamScanner